संख्या-118/2015/आर-2443/26-3-2015-52(एस.एन.डी.)/2004टी.सी.

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 23 इअक्टूबर, 2015

विषयः- जनपद सोनभद्र में एकीकृत जनजाति विकास परियोजना के संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय जनजाति विकास के पत्रांक-133/59/ज0जा0वि0/2015-16, दिनांक 27.07.2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर विचार करते हुए अनुदान संख्या-81 के अधीन एकीकृत जनजाति विकास परियोजना के संचालन हेतु अधिष्ठान मानक मदों में वित्तीय वर्ष 2015-16 के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रूपया-1.07/-लाख (रूपया एक लाख सात हजार मात्र) को निम्नलिखित मदों पर व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(लाख रूपये में)

मद संख्या एवं मद का नाम	आय-ब्ययक प्राविधान वर्ष 2015-16	स्वीकृत धनराशि
04-यात्रा व्यय	0.10	0.10
08-कार्यालय व्यय-	0.10	0.10
09-विद्युत देय	0.10	0.10
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0.20	0.20
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	0.10	0.10
18-प्रकाशन व्यय	0.10	0.10
42-अन्य व्यय	0.07	0.07
47-कम्प्यूटरअनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	0.30	0.30
योग-	1.07	1.07

(1) धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। उपर्युक्त स्वीकृतियों से सम्बन्धित धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/15, दिनांक 30 मार्च 2015, में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) कोषागार से उतनी ही धनराशि का आहरण किया जायेगा, जितनी धनराशि की तत्काल व्यय किये जाने की आवश्यकता हो।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों/प्रतिबन्धों तथा इस योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष आवंटन व्यय तभी किया जायेगा, जब यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व वर्षों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सम्पूर्ण व्यय/उपभोग किया गया हो और कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकखानों/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है और पूर्व में स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत मुख्य लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-05-एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का क्रियान्वयन" के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015, में विहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

<u>पृ0संख्या-118/2015/आर-2443 (1)/26-3-2015 तद्दिनांकः</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, सोनभद्र।
4- राज्य योजना आयोग-1/2
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6- वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/2
7- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।